इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1827

29 मार्च, 2012 को उत्तर के लिए

अफगानिस्तान में लौह-अयस्क का खनन

1827 श्री ए. इलावरासन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की अध्यक्षता वाला सहायक संघ, जिसने अफगानिस्तान में लौह-अयस्क खान प्राप्त किए थे, यह चाहता है कि भारत सरकार निवेश अवधि के दौरान किसी भी समय समझौता समाप्त होने की स्थिति में समूह की वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने उधार लेने के लिए सरकार से गारंटी भी मांगी है;

(घ) क्या अफगानिस्तान में निवेश में निहित अत्यधिक जोखिम के कारण ऐसी प्रतिपूर्ति की मांग की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ड.): सेल की अगुवाई वाले संघ को हाजीगक लौह अयस्क निक्षेप में ब्लॉक बी, सी और डी के लिए एक तरजीह वाला बोलीदाता घोषित किया गया है और इस समय यह खान मंत्रालय, अफगानिस्तान सरकार के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले बातचीत कर रहा है।

उपर्युक्त ब्लॉकों में लौह अयस्क की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। इसके अलावा, अफगानिस्तान में निवेश करने और प्रचालन करने में सुरक्षा संबंधी जोखिम, खुदाई में कठिनाइयां अंतर्ग्रस्त होने, परियोजना और संबंधित अवसंरचना के पूरा होने की अवधि लंबी होने और उनकी बहुआयामी प्रकृति होने के कारण सेल की अगुवाई वाले संघ ने इस परियोजना और अयस्क खुदाई संभार-तंत्र तथा अवसंरचना के लिए ऋण/सहायता के रूप में मदद/समर्थन देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

****